सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 25/17 **निर्णय दिनांक 19/12/2017**

1. कमु खॉ पुत्र काले खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 3 सीएचडीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. सदू खॉ पुत्र काले खॉ जाति मुसलमान निवासी खारवाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. महमूद खॉ पुत्र काले खॉ जाति मुसलमान निवासी खारवाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
3. सम्मी पुत्री काले खॉ जाति मुसलमान निवासी खारवाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
4. असकर अली पुत्र कम्मी पुत्री काले खॉ जाति मुसलमान निवासी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
5. शौकतअली पुत्र कम्मीखॉ पुत्री काले खॉ जाति मुसलमान निवासी खारवाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
6. उमरावा पुत्री कम्मीखॉ पुत्री काले खॉ जाति मुसलमान निवासी खारवाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
7. जनी पुत्री कम्मी पुत्री कालेखॉ जाति मुसलमान निवासी खारवाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
8. उपपंजीयक, छत्तरगढ़
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़
दिनांक 26—04—2017

उपस्थितः—

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय भादाणी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 26—04—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक वाद घोषणा के बाबत् प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आराजी मुतनाजा चक 3 सी.एच.डी. के मुरब्बा नम्बर 121/60 की तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 25—03—1985 को किया जाकर पट्टा सुपुर्द कर दिया गया था। उक्त भूमि पारिवारिक समझौते के अनुसार प्रार्थी के पिता ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के हिस्से में छोड़कर मौखिक रूप से उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्से में छोड़ दी थी। तभी से प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर मौके पर मकान वगैरा बनाकर कठिन परिश्रम कर तथा आर्थिक धन लगाकर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया। अप्रार्थीगण के मन में लालच आने पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का चुपचाप विरासतन इंतकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया गया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा जब अप्रार्थीगण को विरासतन होने के बाद हक रिलिज करने को कहा तो वे मुकर गये। जबकि प्रार्थी ने मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसार अपना हिस्स पूर्व में ही दादा के हिस्से में आई जमीन को छोड़ चुका है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना कि पक्षकार जो कि मुसलमान जाति के है तथा जिनके बंटवारें में बहनों वा भाईयों को प्राप्त होने वाले हिस्से से कानूनन आधा हिस्सा पुश्तैनी भूमि में मिलता है। वादगत् भूमि का अपीलांट व उसके भाईयों व बहिनों में अपने जीवनकाल में ही पिता के समय एक पारिवारिक बंटवारा व समझौता किया था। जिसके अनुसार आराजी मुतनाजा भाई बंट में अपीलांट को देना तय किया

था तथा जिसकी मौखिक रिलिज डीड अपीलांट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट द्वारा करवा दी गई थी। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया था जोकि कानूनन दावे की पत्रावली में निर्णय किया जाना था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट से सांठ—गांठ करते हुए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर गलत विवेचना करते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जो कानूनन गलत व विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा मौखिक समझौते के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर कोई दस्तावेजात् दावा में संलग्न नहीं किये है। काले खॉ की भूमि जो अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का पिता है। अपीलांट का कथन है कि पिता ने जीवनकाल में पारिवारिक समझौते के अनुसार वादगत् आराजी मौखिक बंटवारे में अपीलांट को दे दी गई थी। स्वीकार नहीं है। वादगत् भूमि अपीलांट/ रेस्पोडेन्ट के पिता काले खॉ की मृत्यु उपरान्त विरासतन इंतकाल दर्ज हो गया वो आज दिनांक तक प्रभाव में है। वादगत् भूमि के इंतकाल की अपील अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई है। अतः अपीलांट एस्टोप्ड के सिद्वान्त से बाधित है। अपीलांट मौखिक समझौते के आधार पर वाद पत्र लाया है। जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया ना ही अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे साबित हो कि वादगत भूमि अपीलांट को पारिवारिक समझौते के अनुसार प्राप्त हुई हो। अपीलांट द्वारा अपने कब्जे के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर दावा प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं बनता है। अपीलांट ने अपनी में यह कथन किया है कि मौखिक बंटवारें द्वारा वादगत् भूमि प्राप्त होना बताया गया है जबकि कानून में पारिवारिक मौखिक समझौते का कोई औचित्य नहीं है। पारिवारिक समझौता लिखित में पंजीबद्व होना आवश्यक है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट का

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना खारिज करते हुए अपीलींट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह अंकित किया गया कि प्रार्थी के पिता काला वल्द सुबा को चक 3 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 121/60 के किला नम्बर 1 ता 25 की तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 25—03—1985 को किया जाकर पट्टा जारी किया गया।

(2) अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् आराजी पारिवारिक समझौते के अनुसार अपीलांट को प्राप्त हो चुकी थी तथा अपीलांट द्वारा मौके पर काबिज होकर मकान वगैरा बनाकर कठिन परिश्रम से वादगत् आराजी को काबिल काश्त बनाया गया है। वादगत् भूमि अपीलांट को पारिवरिक समझौते के अनुसार प्राप्त हुई है अथवा नहीं इसका निस्तारण अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में गुणावगुण पर तय होना है।

(3) जहॉ तक अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया गया है। जो कानूनी के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत किया गया साबित है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अदालत मातहत द्वारा बिना माईन्ड एप्लाई किये व बिना कानून की व्याख्या किये मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। कानूनन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण दावे की पत्रावली में किया जाता है। जबकि अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 26–04–2017 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर